Providing Employment to one person in each Family

*73. SHRI CHITTA MAHATA:
SHRI CHHITUBHAI GAMIT:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to provide employment at least to one person in each family for the livelihood of that family; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) and (b). The proposal is under consideration in the context of formulation of the 1980-85 Plan.

Malpractices of Recruiting Agencies

*74. KUMARI KAMLA KUMARI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some of the labour recruiting agencies for labour supply to the other nations are taking huge money from the labour whom they send abroad, specially the agencies located in the Metropolitan cities; and

(b) if so, the steps proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Government have been receiving reports from time to time against recruiting agencies for charging huge sums of money from intending emigrants. Such reports are referred to appropriate police authorities for investigation and action. As a result of such action, 8 recuiting agencies and 120 individuals have already been successfully prosecuted.

(b) A proposal for a new enactment on Emigration is at an advanced stage of consideration of the Government, which is expected to cover all aspects of recruitment of emigrants.

Rath Committee's Report on Correction of Consumer Price Index Numbers

*75. SHRI INDRAJIT GUPTA:
SHRI K. RAMAMURTHY:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Rath Committee's report on correction of consumer price index numbers has been under the consideration of Government for the last two years; and

(b) if so, what is Government's decision thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) Yes, Sir.

(b) A decision is expected to be taken before the end of the budget session of parliament.

चलती गाड़ियों में डकैतियां

*76. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :
श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के विभिन्न भागों मे चलती गाड़ियो में डकैतियों की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों की तुलना मे इस वर्ष ऐसी घटनायें अधिक हुई है; और

(ग) गाड़ियों में डकैतियों की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए तथा जन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जारही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां

(ख) जी नहीं । राज्य पुलिस प्राधिकारियों से मिली सूचना के अनुसार 1975, 1976, 1977, 1978 और 1979 में चलगा गाड़ियों में डकती और लूट-पाट के क्रमशः 299, 179, 278, 223 और 253 मामले हुए । चालू वर्ष में अप्रैल, 1980 तक चलती गाड़ियों में डकैती और लूट-पाट के 74 मामले हुए हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि चालू वर्ष में रुख कमी की ओर है ।

(ग) पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है और संविधगन के अनुसार यात्रियों और उनके सामान की संरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत सरकारी रेलवे पुलिस का है । विभिन्नि राज्यों में सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण उन्होंने अपना दायित्व प्रभावी ढंग से निभाने में कठिनाई व्यक्त की थी । रेल मंत्रालय ने राज्यों की सरकारी रेलवे पुलिस का खर्च 50 : 50 के हिसाब से वहन करना स्वीकार कर लिया है । राज्यों से भी कहा गया है कि वे इसे स्वीकार कर लें और सरकारी रेलवे पुलिस की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव भेजें । रेलवे सुरक्षा दल का काम रेल सम्पत्ति की सुरक्षा करना है, लेकिन रेलों में अपराधों की रोक-थाम में वह रेलवे पुलिस की सहायता भी करता है । इसके अलावा, रेलें अपनी ओर से निम्नलिखित कार्यवाई भी करनी है :—

(1) रेलें सभी स्तरों पर राज्य पुलिस प्राधिकारियों से निकट संपर्क रखती हैं ।

(2) सवारी डिब्बों के गलिया रेदार दरवाजे 22.00 और 6.00 बजे के बीच बन्द कर दिये जाते हैं ।

(3) चल टिकट परीक्षकों परिवचरों कंडक्टरों से कहा गया है कि वे आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने में सतर्क रहें ।

(4) जब कभी किसी क्षेत्र विशेष में अपराध अधिक होने लगते हैं, तो रेल यात्रियों की अधिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया जाता है । और जब कभी आवश्यकता होती है, उन्हें अपेक्षित सहायता दी जाती है ।

(5) इसके अलावा, अपराधी की रोक-थाम और यात्रियों में विश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा दल के लगभग 2000 कर्मचारी यात्री गाड़ियों में मार्ग रक्षा के लिए तैनात किये गये हैं ।

(6) रेलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने और उसमें सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की जा रही है ।

Visit of Shri Gonsalves to Capitals of ASEAN Countries

*71. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Shri E. Gonsalves, Secretary in the External Affairs Ministry recently visited ASEAN capitals; and

(b) if so, the purpose of the visit?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Yes, Sir.

(b) The purpose of the visit was to exchange views on the first India-ASEAN dialogue on economic and industrial cooperation as well as on matters of mutual interest.

Setting up of a Regional Cancer Research Centre in Calcutta

*78. SHRI SOMNATH CHATTERJEE:

Will the Minister of HEALTH be be pleased to state the steps so far taken to set up a Regional Cancer Research Centre in Calcutta?

THE MINISTER OF EDUCATION AND HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): The Chittaranjan National Cancer Research Centre, Calcutta is already functioning as a Regional Cancer Research Centre for the Eastern Region, since 1975.